

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चू.प- 299 Mine code 38GUJ08347 ID दिनांक:

सेवा में :. मै. सोमनाथ मिनरल्स, प्रो. श्री अशोक विनोद जिमूलिया
P/2, तृतीय तल, जयदेव पैलेस, सोमनाथ सोसाइटी
60 फीट सड़क, पदम ट्रांसपोर्ट के पीछे
वेरावल, जिला- गिर सोमनाथ 362 265 (गुजरात)
e mail - dineshkumarandcompanyvrl@gmail.com

विषय: गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की सूत्रापाडा तालुका में स्थित आपकी धामलेज चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 4.00 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.10.2022 को आपकी उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के समसंख्यक पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र दिनांक 06.01.2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था -

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-304/2020-21MDRD(N)GNR दिनांक 29.01.2021 के द्वारा अनुमोदित संशोधित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित संशोधित खनन योजना के बिन्दु 8.3 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु 100 पौधें लगा कर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 30 पौधें ही लगाए गए हैं।
26(2)	नियमानुसार अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर के अनुसार खान के संरक्षण एवं पुनरुद्धार (Protective and Rehabilitation) हेतु प्रस्तावित एवं वास्तविक रूप से किए गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 1 जुलाई तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण के समय पाया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए यह रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
34A(3)	As per this rule "Every lessee shall carry out a drone survey of his leased area and upto hundred metres outside the lease boundary within six months before submission of any mining plan document or modification thereto to the Indian Bureau of Mines for approval and shall submit processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images

obtained from such survey". It was observed that you have failed to submit the same.

०२. तथापि दर्शाए गए उल्लंघनों में सुधार करने के लिए आपके पत्र संख्या शून्य दिनांक 25.02.2023 द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से नियम संख्या 34A(3) की अनुपालना मान ली गई है और पाया गया कि नियम संख्या 11(1) एवं 26(2) का उल्लंघन यथावत जारी है क्योंकि नियम 11(1) के लिए निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है तथा नियम 26(2) के लिए प्रेषित रिपोर्ट में वृक्षारोपण की संख्या सही नहीं है।
०३. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं निलंबित की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
०४. अतः आपको इस पत्र के जारी होने की तिथि से ३० (तीस) दिनों की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए क्यों नहीं आप पर अभियोग चलाया जाए? अथवा/एवं खनन क्रियाएं निलंबित की जाएं? अथवा/एवं अन्य उचित कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी/राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए?
०५. कृपया नोट करें कि इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।
०६. यह कारण बताओं नोटिस क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय




(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।



सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो